न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
मुकेश बनाम राजस्थान सरकार
GCMS No- 2023/471
प्रकरण संख्या 136/2023

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली(R.A.S.)

प्रकरण संख्या 136/2023
जीसीएमएस न0 2023/471

1. मु. मुकेश पिता बद्रीलाल जी बग्गड़ जाति धाकड़ निवासी कोटड़ीखुर्द तहसील निम्बाहेड़ा।

...........प्रार्थी

बनाम

1. राज० सरकार जरिये तहसीलदार सा० निम्बाहेडा राज०

...........विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1–श्री हरिश सोलंकी –अधिवक्ता प्रार्थी
2–पेरोकार सरकार –स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक 30.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वाकै मौजा कोटड़ीखुर्द पटवार हल्का कोटड़ीकलां तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 158 की आराजी नंबर 101 व खाता संख्या 159 की आराजी नंबर 103,104,88 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7800 हैक्टेयर स्थित है।

2. प्रार्थी का नाम मुकेश पिता बद्रीलाल है और प्रार्थी की गौत्र बग्गड है एवं प्रार्थी की जाति धाकड हैं तथा प्रार्थी का निवास स्थान कोटडी खुर्द हैं तथा इसी नाम से प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र एवं सभी दस्तावेज है। ग्राम कोटडीखुर्द पटवार हल्का कोटडीकला में खाता सं० 158 की आराजी नं0 101 एवं खाता सं० 159 की आराजी नं० 103,104,88 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7800 हेक्टेयर स्थित हैं, उसमें प्रार्थी का 1/4 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जो कि संवत 2067 से 2070 खाता सं० 113 व 114 में प्रार्थी का नाम सही दर्ज है और प्रार्थी की गौत्र बागडी दर्ज है तथा संवत 2077–80 खाता सं० 158 व 159 के उक्त खातो में प्रार्थी की जाति धाकड के स्थान पर सहवन से जाति मेघवाल दर्ज हो गई है इसी प्रकार प्रार्थी का निवास स्थान कोटडीखुर्द है परन्तु उक्त खाते में सहवन से प्रार्थी का निवासस्थान कोटडीकला दर्ज हो गया हैं। जिनको प्रार्थी दुरुस्त कराकर सही इन्द्राज करा कर खाते में मुकेश पिता बद्रीलाल बग्गड जाति धाकड निवासी कोटडीखुर्द तह० निम्बाहेडा दर्ज कराना चाहता हैं।

3. उक्त इन्द्राज में गलत त्रुटी हो जाने की जान[illegible] को जानकारी होने पर प्रार्थी ने अपने स्तर पर इन्द्राज [illegible] संशोधन न्यायालय में दावा के माध्यम [illegible] प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:59:13 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुषंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है:–

Scanned by CamScanner

- प्रार्थी श्री मुकेश द्वारा ग्राम कोटडीखुर्द की आ.न. 101, 103, 104.88 में प्रार्थी की जाति मेघवाल दर्ज होना बताया गया जबकि प्रार्थी की जाति बग्गड धाकड है एव इसे शुद्ध करने बाबत निवेदन किया गया है। आवेदन की जांच पर जाहिर आया कि उक्त भूमियां जमाबन्दी सम्वत 2057–60 के खाता संख्या 49 में खातेदार श्रीमति धापू बेवा धान्ना, सवा शंकर पन्ना पिता हंसा जाति चमार के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिनके साबिक आ.न. 59, 70, 72 एंव 395/72 किता 4 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी। इस प्रकार भूमि अनु जाति के नाम दर्ज रेकार्ड थी।

- इसमें से खातेदार श्रीमभि धापू बेवा धन्ना चमार द्वारा आ.न. 59, 72 एवं 395/72 में से अपना हिस्सा मुकेश पिता बद्रीलाल बागडी सा. देह को विक्रय किया गया जो कि ना.स. 379 से केता के नाम दर्ज हुआ। नवीन रेकार्ड में इनकी जाति बागड़ी के स्थान पर मेघवाल दर्ज हुआ है। चूंकि उक्त भूमि अनु जाति की भूमि थी जिससे केता धाकड जो कि अनु. जाति में नहीं आता है को विक्रय नहीं हो सकती है। सम्भवतया केता प्रार्थी नही है। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार रेकार्ड में जाति धाकड जो कि अनु जाति में नहीं आती है अतः शुद्धि किया जाना संभव नहीं है।

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। [illegible] प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, इस प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:59:13 IST
Reason: SelfAttested

8. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है

Scanned by CamScanner

कि वादग्रस्त आराजियात वाकै मौजा कोटड़ीखुर्द पटवार हल्का कोटड़ीकलां तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 158 की आराजी नंबर 101 व खाता संख्या 159 की आराजी नंबर 103,104,88 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7800 हैक्टेयर स्थित है। श्रीमति धापू बेवा धन्ना चमार द्वारा आराजी नंबर 59,72 व 395/72 में से अपना हिस्सा मुकेश पिता बद्रीलाल बागडी सा. देह को विक्रय किया गया जो कि ना.स. 379 से केता के नाम दर्ज हुआ। नवीन रेकार्ड में इनकी जाति बागड़ी के स्थान पर मेघवाल दर्ज हुआ है। चूंकि उक्त भूमि अनु जाति की भूमि थी जिससे केता धाकड जो कि अनु जाति में नहीं आता है को विक्रय नहीं हो सकती है। सम्भवतया केता प्रार्थी नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार रेकार्ड में जाति धाकड जो कि अनु जाति में नहीं आती है अतः शुद्धि किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:59:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner